LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
Bulletin Part-I
(Brief summary of proceedings)
Monday, 23 November, 2015/ 02 Margshirsha, 1937 (Saka)

No. 17

2.04 P.M. Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.05 P.M. As the House assembled, Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition, Sh. Jagdish Pradhan, Member of BJP & Sh. Pankaj Pushkar, Hon'ble Member of AAP sought to know about the fate of the Notices of Calling Attention under Rule-54 given by them.

   The Chair stated that the issues mentioned in the Notices given by Sh. Vijender Gupta & Sh. Jagdish Pradhan were not of urgent public importance and the issue mentioned in the Notice of Sh. Pankaj Pushkar could be raised by the Members during discussion on the Bills pertaining to the school education.

   Hence, the Chair disallowed the aforesaid Notices.

   The Members of Bhartiya Janta Party were not satisfied with the ruling of the Chair. They stood at their seats and started exchanging arguments with the Chair.

   Members of BJP resorted to sloganeering.

   Hon'ble Leader of Opposition tried to play an audio clip.

   The Chair objected and asked the Members of BJP to take their seats.

   The Members of BJP did not relent and raised slogans again.

2. 2.13 P.M. The Chair warned the Members of BJP that they would be named for the remaining part of Question Hour due to their indecorous behavior.

   The Members of BJP walked out protesting the decision of the Chair.

3. 2.15 P.M. Sh. Pankaj Pushkar also stood up at his seat and requested the Chair to allow his Notice of Calling Attention.

   The Chair denied the request and asked Sh. Pankaj Pushkar to take his seat.

   Sh. Pankaj Pushkar started arguing with the Chair.

   The Chair named Sh. Pankaj Pushkar for remaining part of Question Hour due to his indecorous behavior.

Since Shri Pankaj Pushkar did not withdraw from the House voluntarily, the Chair directed that he be evicted from the House. Accordingly, Marshals of the House escorted Shri Pushkar out.

4. 2.17 P.M. **Question Hour:** Starred questions no. 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54 to 58 & 60 were asked and replied to. Replies to starred questions no. 42, 45, 49, 53 & 59 and to un-starred questions no. 22 to 34 were placed on the table.

5. 3.04 P.M. The Members of the BJP came back to the House.

6. 3.05 P.M. **Special Mention(Rule-280):** The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:-

1. Sh. Somnath Bharti
2. Ms. Bhavna Gaur
3. Sh. Amanatullah Khan
4. Ms. Alka Lamba
5. Sh. Mahender Goel
6. Sh. Praveen Kumar
7. Sh. Jagdish Pradhan
8. Sh. Gulab Singh
9. Sh. Adarsh Shastri
10. Smt. Parmila Tokas

7. 3.45 P.M. **The Chair adjourned the House till 4:15 P.M. for Tea-Break.**

8. 4.19 P.M. **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in- Chair.

9. 4.20 P.M. Hon'ble Speaker recalled that the Hon'ble Members had complained about the diversion of traffic by the Delhi Police in an unprecedented manner due to demonstration in front of the residence of Chief Minister on 20 November, 2015. Consequently, the said act of Delhi Police had caused inconvenience to the Hon'ble Members in reaching the Assembly.

The Chair further stated that Shri Deepak Mishra, Special Commissioner of Delhi Police was invited to his Chamber today and was apprised of the sentiments of the Hon'ble Members and the fact that the Members were obstructed from performing their constitutional duty. He informed that the Special Commissioner was asked to ensure that such incidents do not happen in future and the Special Commissioner of Delhi Police had assured that such incidents would not recur.

The Hon'ble Speaker also stated that the letter received from Sh. Amanatullah Khan regarding alleged attack on him on 20

November, 2015 and complaint of Ms. Sarita Singh against Delhi Police were also handed over to the Special Commissioner of Police for appropriate action.

10. 4.23 P.M. Ms. Alka Lamba, Sh. Gulab Singh, Sh. Praveen Kumar & Sh. Rituraj Hon'ble Members of ruling party demanded that the incident of alleged attack on Sh. Amanatullah Khan should be properly investigated.
Sh. Amanatullah Khan alleged that the attack on him was conspired by the Members of BJP.
Members of BJP objected the statement of Sh. Amanatullah Khan.
Verbal exchange ensued between Members of ruling party and opposition leading to uproar in the House.
The Chair requested the Members to take part in the proceedings of the House.

11. 4.28 P.M. In response to the concern raised by Sh. Somnath Bharti, Hon'ble MLA, the Chair once again directed that all the Government Departments should give reply to the Members who raise matters under Rule-280 within stipulated time of thirty days.

12. 4.33 P.M. **<u>Introduction, Consideration & Passing of Bill:</u>**

I. **Shri Satyendar Jain, Minister of Home** introduced **"The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 14 of 2015)"** with the leave of the House.

Minister of Home moved that **"The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 14 of 2015)"** be taken into consideration.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

Minister of Home made a brief statement.

The following Members participated in the debate :-

1. Sh. Madan Lal
2. Sh. Kailash Gahlot
3. Sh. Vijender Gupta
4. Sh. Rajender Pal Gautam
5. Sh. Somnath Bharti
6. Sh. Jarnail Singh (Rajouri Garden)
7. Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister

13. 5.24 P.M. Sh. Satyendar Jain, Minister of Home replied to the debate.

14. 5.36 P.M. The Bill was considered clause-wise.

The Minister of Home moved that **“The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 14 of 2015)”** be passed.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

15. 5.40 P.M. **II. Shri Manish Sisodia, Dy. Chief Minister** introduced "**The Delhi (Right of Citizen to time Bound Delivery of Services) (Amendment) Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015)”** with the leave of the House.

16. 6.00 P.M. **The Chair adjourned the House upto 2.00 PM on Tuesday, 24 November 2015.**

Delhi
23 November, 2015

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

समाचार भाग-1

कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

सोमवार, 23 नवम्बर, 2015/मार्गशीर्ष 02, 1937(शक)

संख्या-17

2.04 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 2.05 बजे जैसे ही सदन समवेत हुआ, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान तथा आम आदमी पार्टी के माननीय सदस्य श्री पंकज पुष्कर ने उनके द्वारा नियम-54 के अंतर्गत दी गई ध्यानाकर्षण की सूचनाओं के संबंध में जानना चाहा।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा श्री जगदीश प्रधान द्वारा दी गई सूचना में वर्णित विषय अविलम्बनीय लोक मंहत्व के नहीं हैं तथा श्री पंकज पुष्कर की सूचना में वर्णित मुद्दे को सदस्यों द्वारा विद्यालय शिक्षा से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

अतः अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे अपने आसनों पर खड़े हो गए तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क करने लगे।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारेबाजी प्रारम्भ की।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक ऑडियो क्लिप चलाना प्रारम्भ कर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर आपत्ति की और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अनवरत खड़े रहे तथा पुनः नारेबाजी करने लगे।

2. 2.13 बजे अध्यक्ष महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को चेतावनी दी कि उनके अमर्यादित आचरण के कारण उनको प्रश्न काल की शेष अवधि के लिए इंगित कर दिया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय के निर्णय का विरोध करते हुए सदन से बर्हिगमन किया।

3. 2.15 बजे श्री पंकज पुष्कर भी अपने आसन पर खड़े हो गये तथा अध्यक्ष महोदय से अपने ध्यानाकर्षण की सूचना को अनुमति देने का अनुरोध करने लगे।

अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तथा श्री पंकज पुष्कर से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया।

श्री पंकज पुष्कर ने अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क-वितर्क किया।

अध्यक्ष महोदय ने श्री पंकज पुष्कर को उनके अमर्यादित आचरण के कारण प्रश्न काल की शेष अवधि के लिए इंगित किया।

चूंकि श्री पंकज पुष्कर अपने आप सदन से बाहर नहीं गये, अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उनको सदन से बाहर भेजा जाये। तदनुसार, सदन के मार्शलों ने श्री पुष्कर को सदन से बाहर भेजा।

4, 2.17 बजे **प्रश्न काल:**

तारांकित प्र.सं. 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54 से 58 और 60 पूछे गए तथा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्र.सं. 42, 45, 49, 53 से 59 और अतारांकित प्र.सं. 22 से 34 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

5. 3.04 बजे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापस आए।

6, 3.05 बजे **विशेष उल्लेख (नियम-280) :**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित सदस्यों द्वारा **नियम-280 के अन्तर्गत** विशेष उल्लेख के मामले उठाए गए:-

1. श्री सोमनाथ भारती
2. सुश्री भावना गौड़
3. श्री अमानतुल्ला खां
4. सुश्री अलका लाम्बा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री प्रवीण कुमार
7. श्री जगदीश प्रधान
8. श्री गुलाब सिंह
9. श्री आदर्श शास्त्री
10. श्रीमती प्रमिला टोकस

7. 3.45 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश हेतु अपराह्न 4.00 बजे तक के लिये स्थगित की।**

8. 4.19 बजे **सदन पुन: समवेत हुआ।**
माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

9. 4.20 बजे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रदर्शन के कारण पुलिस द्वारा अप्रत्याशित ढंग से ट्रैफिक को डायवर्ट करने के संबंध में शिकायत की थी । द्रिल्ली पुलिस की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप सदस्यों को विधानसभा पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा था।

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि उन्होंने आज इस संबंध में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त श्री दीपक मिश्रा को अपने कक्ष में आमंत्रित किया। उनको सदस्यों की भावना और इस तथ्य से अवगत कराया गया कि सदस्यों के संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डाली गई। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि विशेष आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए तथा दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न होने का आश्वासन दिया ।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि माननीय सदस्य श्री अमानतुल्ला

खां पर कथित हमले के संबंध में दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को उनसे प्राप्त पत्र तथा माननीय सदस्य सुश्री सरिता सिंह की दिल्ली पुलिस के संबंध में शिकायत को भी विशेष आयुक्त को समुचित कार्यवाही हेतु सौंप दिया गया।

10. 4.23 बजे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों सुश्री अलका लाम्बा, श्री गुलाब सिंह, श्री प्रवीण कुमार तथा श्री रितुराज ने श्री अमानतुल्ला खां पर हुए कथित हमले की घटना की समुचित जांच करने की मांग की।

श्री अमानतुल्ला खां ने आरोप लगाया कि उन पर हुए हमले का षडयंत्र भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा रचा गया था।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने श्री अमानतुल्ला खां के कथन पर आपत्ति की।

सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों के मध्य तर्क-वितर्क प्रारम्भ हुआ जिससे सदन में शोर-शराबा हुआ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध किया।

11. 4.28 बजे श्री सोमनाथ भारती, माननीय सदस्य द्वारा विशेष उल्लेख के संबंध में जाहिर की गई चिंता की प्रतिक्रिया में अध्यक्ष महोदय ने सभी सरकारी विभागों को पुनः निर्देश दिया कि सदस्यों द्वारा नियम-280 के अंतर्गत उठाये गये मामलों के उत्तर निर्धारित 30 दिनों के अंदर उन्हें मिल जाने चाहिए ।

12. 4.33 बजे **<u>विधेयक का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारित करना :</u>**

1. **श्री सत्येन्द्र जैन, गृह मंत्री** ने सदन की अनुमति से **"दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)"** को पुरःस्थापित किया।

गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि **"दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)"** पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

गृह मंत्री ने संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री मदन लाल
2. श्री कैलाश गहलौत
3. श्री विजेन्द्र गुप्ता
4. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
5. श्री सोमनाथ भारती
6. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
7. श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री

13. 5.24 बजे **श्री सत्येन्द्र जैन, गृह मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

14. 5.36 बजे विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।

गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 14)" को पारित किया जाये।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

15. 5.40 बजे **श्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री** ने सदन की अनुमति से **"दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015** (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 11)" को पुरः स्थापित किया।

16. 6.00 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, 24 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की।

दिल्ली
23 नवम्बर, 2015

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव